IN THE NEWS

ऑपरेशन आहट

मानव तस्करी क्या है?

मानव + तस्करी

व तस्करी में किसी प्रकार के श्रम या व्यावसायिक यौन क्रिया को प्राप्त
ने के लिए बल प्रयोग, धोखाधड़ी या जबरदस्ती शामिल है।

री किससे
ाती है।

कोई भी समुदाय और पीड़ित कोई भी उम्र, जाति, लिंग
राष्ट्रीयता हो सकते हैं

र इसका
ाल करते
हैं।

अवैध व्यापार की स्थिति में पीड़ितों को लुभाने के लिए
हेरफेर, या अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों या रोमांटि
संबंधों के झूठे वादे।

मानव तस्करी
03 मूल तत्व
कार्य
साधन
उद्देश्य
रंगरूट
परिवहन
स्थानांतरण
आश्रय देना
प्राप्त करना
खतरा या बल का प्रयोग
दबाव
धोखा
छल
भेद्यता की स्थिति का दुरुपयोग
भुगतान और लाभ देना
अपहरण
शोषण

Sexual exploitation

Forced labour

Debt bondage

Domestic servitude

Organ removal

Forced begging

Child soldiers

Forced marriage

मानव तस्करी

मानव तस्करी में आरपीएफ की भूमिका और उत्तरदायित्व

लांकि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार, "लोक व्यवस्था" और "पु
य के विषय हैं और रेलवे में अपराध का पता लगाना, पंजीकरण, जांच और रोकथाम
य से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे जीआरपी के माध्यम से निर्वहन करें।
लांकि, राज्य की सीमाओं के पार भारतीय रेलवे प्रणाली पर आरपीएफ की उपस्थि
ल यात्री क्षेत्र में अपराध से संबंधित आरपीएफ अधिनियम 1957 (2003 में संशोधि
धानों के अनुसार सहायता प्रदान करके जीआरपी/पुलिस के प्रयासों का पूरक हो स
बल्कि अधिनियम भी विभिन्न जीआरपी/पुलिस के प्रयासों में तालमेल बिठाने के लि
के रूप में कार्य करती है।
मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 09.09.2009 के माध्यम से सलाह दी
लिस को आव्रजन अधिकारियों, बीएसएफ, रेलवे और अन्य परिवहन प्राधिक
ीय/क्षेत्रीय और नगरपालिका एजेंसियों, सामाजिक सेवाओं, बाल कल्याण प्राधि
र किसी भी गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर सेवा में काम करना चाहिए।

मानव तस्करी

मानव तस्करी में आरपीएफ की भूमिका और उत्तरदायित्व

ह मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 21.7.2017 के द्वारा रेलवे बोर्ड
नव तस्करी की घटना को पकड़ने और उसका पता लगाने के स
विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर तैनात आरपीएफ और जीआरपी कर्
ो उपयुक्त रूप से संवेदनशील बनाने की सलाह दी।
नव तस्करी के अपराध में एक संज्ञेय अपराध की सामग्री है
ल के एक सदस्य द्वारा सीआरपीसी के प्रावधानों के रूप में नि
ा सकता है।

मानव तस्करी

मानव तस्करी को रोकने में आरपीएफ कैसे मददगार हो सकता है।

रपीएफ की पूरे भारत में उपस्थिति है और रोजाना लगभग 23 मि
त्रियों के साथ बातचीत करता है।
शेष रूप से लंबी दूरी की यात्रा के दौरान मानव तस्करी के शिकार लो
रेवहन का सबसे सुरक्षित साधन रेलवे है।
छले 5 वर्षों के दौरान आरपीएफ ने मानव तस्करी के संभावित शिकार
चों, महिलाओं और पुरुषों को बचाने के अलावा 2178 व्यक्तियों को त
चंगुल से बचाया है।
रपीएफ यात्री क्षेत्र में ट्रेन एस्कॉर्टिंग, प्लेटफॉर्म ड्यूटी और कई अन्य क
शामिल है जहां वे तस्करों की पहचान कर उन्हें पकड़ सकते हैं और पी
बचा सकते हैं।.

मानव तस्करी

मानव तस्करी को रोकने में आरपीएफ कैसे मददगार हो सकता है।

रपीएफ कर्मियों को प्रशिक्षित करने के केंद्रित और ईमानदार प्रयास HT(Hu
affficking) रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए सुराग प्रदान कर सकते हैं।

उद्देश्य के लिए आरपीएफ के एक खुफिया नेटवर्क के बुनियादी ढांचे का उपयोग
सकता है।

लांकि आरपीएफ HT के मामलों की जांच के लिए सशक्त नहीं है, आरपीएफ पीड़ित
स्रोत, मार्ग और गंतव्य के संबंध में सुराग एकत्र, मिलान और विश्लेषण कर सकता है

लिस की जांच में सहायता कर सकते हैं और HT रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए
र्यवाही भी शुरू कर सकते हैं।

रपीएफ विभिन्न जीआरपी/पुलिस की मदद करने, उनके जासूसी/जांच प्रयासों में स
ापित करने के लिए राज्य की सीमाओं के आर-पार पुल काटने का काम भी कर सक

मानव तस्करी

विभिन्न आपराधिक कानूनों के तहत दंडात्मक प्रावधान

वर्तमान में संगठित अपराध के संबंध में भारत में कोई केंद्रीय कानून
महाराष्ट्र ने मकोका 2000 अधिनियमित किया है। कुछ राज्यों ने अपने
अधिकार क्षेत्र में संगठित अपराध से लड़ने के लिए समान कानून
ा है।

में अवैध व्यापार के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, अनैतिक व्यापार
ा अधिनियम 1986, मकोका तथा बाल विवाह एवं बंधुआ मजदूरी के
कानून के तहत कानूनी कार्यवाही निम्नानुसार की जा रही है:
सी - 370 के तहत (किसी भी व्यक्ति को गुलाम के रूप में खरीदना या
ना),

लामों में आदतन व्यवहार),
श्यावृत्ति, आदि के प्रयोजनों के लिए नाबालिग को बेचना) और
श्यावृत्ति, आदि के प्रयोजनों के लिए नाबालिग ख़रीदना) और अन्य
क धाराएं।

मानव तस्करी

विभिन्न आपराधिक कानूनों के तहत दंडात्मक प्रावधान

नैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956 के
ावधानों के तहत।
ाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के
हत।
धुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976
प्रावधानों के तहत।
ानव तस्करी के संगठित अपराध के मामले में
कोका के प्रावधानों के तहत जहां भी लागू हो।
किशोर न्याय अधिनियम 2020 के प्रावधान।

मानव तस्करी

कार्य प्रणाली

से खुफिया जानकारी का संग्रह।
पीएफ की मानव तस्करी रोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना
के माध्यम से तस्करी के मामलों का पता लगाने के लिए एएचटीयू और
पीएफ की अन्य इकाइयों की की जाने वाली कार्यवाही:
एस्कॉर्ट पार्टियों को संवेदनशील बनाना।
इबर सेल की मदद ली जा सकती है।
य आरपीएफ इकाइयों को कार्यवाही योग्य जानकारी देना।
सरकारी संगठनों से प्राप्त इनपुट पर सत्यापन और कार्यवाही।
ी अवैध व्यापार आदानों के डेटाबेस का रखरखाव।
ड़ितों को उचित करुणा दिखाते हुए विनम्रता से बातचीत करनी चाहिए।
सीआरबी के सीसीटीएनएस और क्रिमैक एप्लिकेशन का उपयोग।
स रिकग्निशन सिस्टम जैसे उचित विश्लेषणात्मक सॉफ्टवेयर के साथ सीसीटीवी
रानी प्रणाली का उपयोग।
ल, बांग्लादेश, म्यांमार आदि के सीमावर्ती जिलों और राज्यों की पहचान।
WCD द्वारा लापता बच्चों का पता लगाने के लिए एक SOP प्रकाशित किया
है जो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

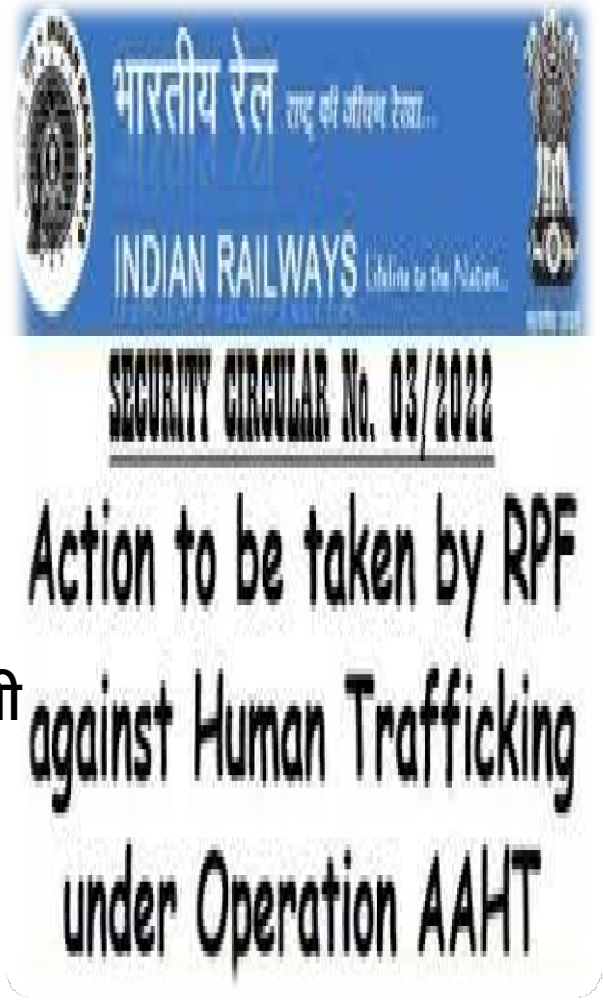

मानव तस्करी

कार्य प्रणाली

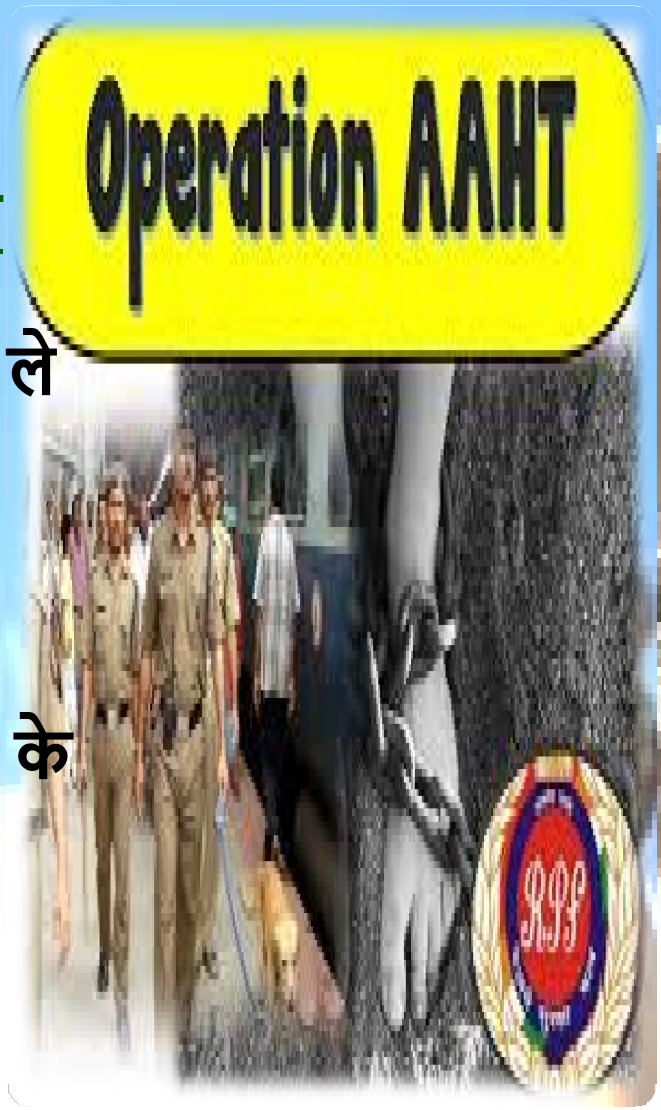

रपीएफ द्वारा तस्करी के शिकार को छुड़ाए जाने के बाद जाने वाली कार्यवाही।

- ड़ितों को तस्कर से अलग करें। पीड़ितों को दूसरी जगह ले एं।
- ोजन, पानी एक आवश्यक वस्तु प्रदान करें।
- थरूम/शौचालय तक पहुंच उपलब्ध कराएं।
- ्काल चिकित्सा देखभाल/सहायता प्रदान करें।
- दि आवश्यक हो, तो पीड़ित को आगे चिकित्सा ध्यान देने के ए पहचाने गए स्थान पर ले जाएं।
- ना समय गंवाए संबंधित पुलिस को सूचित करें।
- ड़ित को संवेदनशील तरीके से समझाएं।

मानव तस्करी

कार्य प्रणाली

क बच्चे के मामले में, सभी बातचीत बच्चे के अनुकूल भाषा होनी चाहिए और उस व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित की नी चाहिए जिस पर बच्चा भरोसा करता है।

कलन करें कि क्या पीड़ित को तत्काल चिकित्सा की वश्यकता है।

सेवाओं की सूची तैयार करें जिन्हें तत्काल करने की वश्यकता है।

ोध व्यापार के शिकार को कभी भी अपराधी के रूप में नहीं ना जाना चाहिए।

स्करों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही करते समय इस बात ध्यान रखना चाहिए कि कार्यवाही संगठित अपराध के लाफ हो।

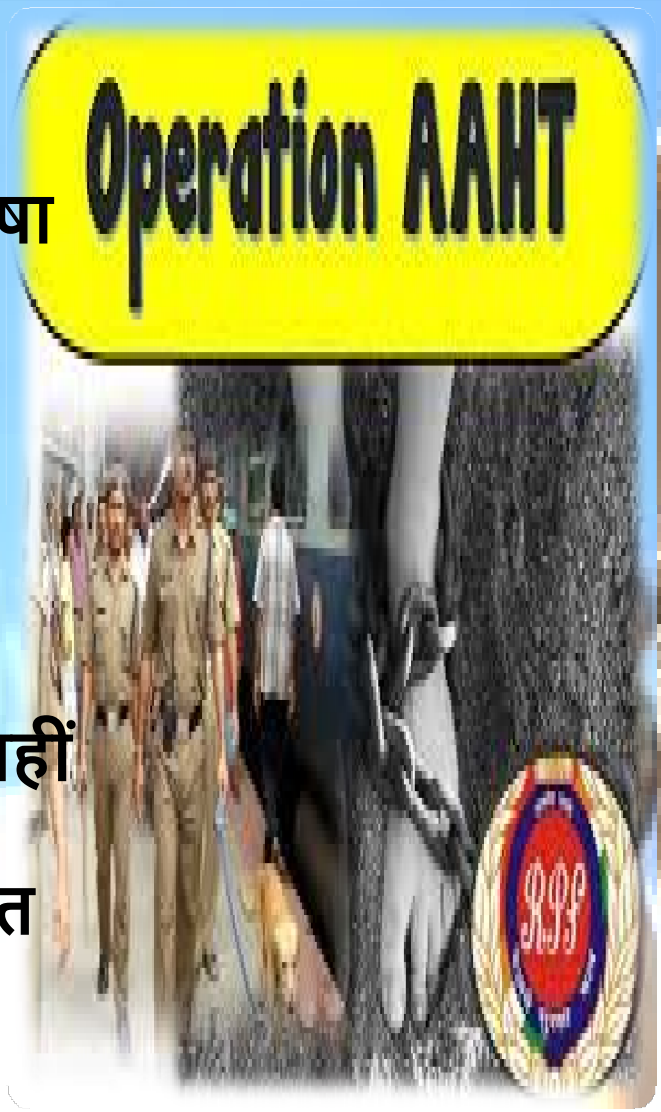

मानव तस्करी

कार्य प्रणाली

अवैध व्यापार के मार्गों और पड़ावों और स्रोत बिंदुओं को देखें।
तस्करों, ट्रांसपोर्टरों, साजिशकर्ताओं, उकसाने वालों, फाइनेंसरों,
हार करने वालों आदि के बारे में विवरण एकत्र किया जा सकता है
संबंधित एलईए के साथ साझा किया जा सकता है।
ाब कोई पीड़ित सामने आता है और स्वयं शिकायत करता है या
य या गैर सरकारी संगठन का सदस्य सूचना प्रदान करता है-
चना देने वाले/शिकायतकर्ता को ध्यान से सुनें और स्पष्टीकरण
गें।
दि कोई आपराधिक मामला बनता है, तो संबंधित पुलिस/जीआरपी
सूचित करें।
रिष्ठों को जानकारी भेजें।

मानव तस्करी

कार्य प्रणाली

शेष पुलिस अधिकारी, गैर सरकारी संगठन और महिला पुलिस
र्मियों की सेवाएं प्राप्त करें।
ाव अभियान में पुलिस/एएचटीयू की सहायता करें।
मुक्त कराए गए व्यक्तियों को बिना प्रचार के ले जाया जाना चाहिए।
पीड़ितों को अपना सामान ले जाने दें।
. पुलिस को सौंपने के लिए अपराधी के सभी फोन जब्त करें।.
पीड़ित को रेस्क्यू होम भेजो।
टना स्थल पर पाया गया कोई भी लेख, जो अपराध से प्रासंगिक है,
क से और सावधानी से संभाला, एकत्र, पैक और प्रलेखित किया
चाहिए।
इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनका प्रमाणिक
बना रहे।

मानव तस्करी

कार्य प्रणाली

हिरासत की श्रृंखला हमेशा बनी रहनी चाहिए।
. पुलिस से नियमित अपडेट प्राप्त करें।
पीड़ितों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करें।
पीड़ित को लंबे समय तक हिरासत में न रखें।
पीड़ित से विनम्र तरीके से बातचीत की जा सकती है।
.. साक्षात्कार एक महिला पुलिस अधिकारी या महिला एनजीओ कार्यकर्ता
रा किया जाना चाहिए।
i. पीड़ित से साक्ष्य एकत्र करते समय, यह सुनिश्चित करना न भूलें कि
ड़िता शुरू से ही घटना का वर्णन करती है।
पीड़ित को वापस बुलाने के लिए पर्याप्त समय देते हुए सभी दोषियों की
भी जानकारी एकत्र करें।
. आरोपी व्यक्तियों का स्केच तैयार करवाएं।

मानव तस्करी

कार्य प्रणाली

i. पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से जल्द से जल्द संपर्क करें।
ii. हिरासत में रहने के दौरान पीड़ित को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार से बचाएं।
iii. पुलिस थाने से आने-जाने वाले अन्य लोगों द्वारा सुरक्षित रूप से अनदेखी का शिकार बनें।
iv. कल्पित नाम या उपनाम का प्रयोग करें और उसके वास्तविक नाम को रोकें।
v. बचाए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।
vi. पीड़ितों के साथ आए खच्चरों से गहन पूछताछ की जा सकती है।

मानव तस्करी

कार्य प्रणाली

ii. इन मोबाइल नंबरों के सीडीआर/एसडीआर पुलिस के
ध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।
iii. सीडीआर का गहन विश्लेषण किया जा सकता है।

गए पीड़ितों की निगरानी- अवैध व्यापार के शिकार व्यक्ति
: अवैध व्यापार की रोकथाम। मुक्त कराए गए व्यक्ति की
धियों/पुनर्वास की निगरानी के लिए हमारे पास एक
नी तंत्र होना चाहिए।

मानव तस्करी

मानव तस्करी के खिलाफ आरपीएफ द्वारा की जाने वाली कार्यवाही ऑपरेशन “आहट" के तहत

व तस्करी विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों का
शोषण, वेश्यावृत्ति, जबरन श्रम, जबरन विवाह, घरेलू
ता, गोद लेना, भीख माँगना, अंग प्रत्यारोपण, नशीली
ओं की तस्करी आदि के उद्देश्य से किया जाता है।
एक संगठित अपराध है जो मानव अधिकार अर्थात
न के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार और मानवीय
मा के अधिकार का उल्लंघन करता है।
रों भारतीय, बांग्लादेश और नेपाल जैसे अन्य देशों के
क्ति विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को हर दिन
गंतव्यों पर ले जाया जाता है।

मानव तस्करी

मानव तस्करी के खिलाफ आरपीएफ द्वारा की जाने वाली कार्यवाही ऑपरेशन “आहट" के तहत

ध व्यापार की गई महिलाएं और बच्चे जीवित हैं

- ालय में सेक्स वर्कर के रूप में,
- सिंग बार में,
- ा सैनिक,
- वधू के रूप में,
- रनाक काम करने वाले कारखानों में,
- टहाउस, खेतों और
- में
- ध गोद लेना
- प्रत्यारोपण
- स में काम करना
- ख़ मांगना
- रंजन उद्योग विशेष रूप से ऊंट जॉकी (आदि) के रूप में।

THANKYOU